

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV From No- 562

The State of Jharkhand

ORDER SHEET

V/s

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

Safik Ansari

Order sheet datedTo.....

Case No- **01/2021-22**

Nature of Case- **Confiscation**

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर					आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
1.	2.					3.												
13/01/25	<u>आदेश</u> यह Confiscation Case No 01/21-22 राज्य सरकार बनाम 1. सफीक अंसारी में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 524/अप०शा० दिनांक 28.04.2021 एवं भण्डरा थाना काण्ड सं० 08/21 दिनांक 26.02.2021 के आलोक में धारा 4/54 भा०द०वि० झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है। <u>वाहन की विवरणी</u> <table><tr><th>क्र०</th><th>वाहन के प्रकार (मोडल नं०)</th><th>वाहन सं०</th><th>चेचिस नंबर</th><th>ईजन नंबर</th><th>मालिक का नाम/पता</th></tr><tr><td>01.</td><td>-</td><td>JH08H-5417</td><td>T053401208EG</td><td>E3450978</td><td>सफीक अंसारी, पिता-युनूस अंसारी, सा०-उगरा, थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।</td></tr></table> इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे। मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्दर Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires,					क्र०	वाहन के प्रकार (मोडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता	01.	-	JH08H-5417	T053401208EG	E3450978	सफीक अंसारी, पिता-युनूस अंसारी, सा०-उगरा, थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।	
क्र०	वाहन के प्रकार (मोडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता													
01.	-	JH08H-5417	T053401208EG	E3450978	सफीक अंसारी, पिता-युनूस अंसारी, सा०-उगरा, थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।													

minerals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।